न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान–2023 कोर्ट कैम्प मूढ़ों की ढाणी

राजस्व वाद संख्या :–48 / 2019

वादी		प्रतिवादीगण
1 धर्मपाल पुत्र नरेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी पुरोहितों की बस्ती हाल नेहरू नगर बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर।	बनाम	1 नरेन्द्रसिंह पुत्र वीरमाराम 2 चुन्नी चौधरी पत्नी धीराराम जाति जाट निवासी बायतु भीमजी तहसील बायतु 3 पार्वती पत्नी देदाराम जाति जाट 4 चम्पा चौधरी पत्नी भगाराम जाति जाट निवासी बायतु भीमजी हाल निवासी कर्मचारी कॉलोनी भुरटिया रोड, बलदेव नगर बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर 5 अलका पत्नी अमराराम जाति जाट निवासी बायतु भीमजी हाल निवासी दुध डेयरी के सामने बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर 6 माया पत्नी हरीराम जाति जाट निवासी रेल्वे स्टेषन बायतु चिमनजी तहसील बायतु जिला बाडमेर 7 अनिता पत्नी मंगनाराम जाति जाट निवासी बायतु भीमजी हाल निवासी दुध डेयरी के पूर्व में पचपदरा रोड बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 RTA Act.

उपस्थिति :–

1. श्री भंवरलाल चौधरी, वकील वादी पक्ष।

निर्णय

दिनांक 02/05/23

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 01 एक ही परिवार के सदस्य है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 की पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा पुरोहितों की बस्ती पटवार क्षेत्र मूढों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 181 रकबा 118.12 बीघा भूमि आई हुई है। वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 01 व उनके सगे भाग गणपतसिंह व मूलाराम ने आपसी सहमति से मौके पर कब्जा काश्त अनुसार वंटवाड़ा कर अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर राजस्व रेकर्ड में भूमि का अंकन अलग करवा दिया। वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 01 के नाम खसरा संख्या 511 / 181 रकबा 39.10 बीघा भूमि खातेदारी में दर्ज है, जिसमे वादी का 1 / 8 हिस्सा तथा शेष प्रतिवादी संख्या 01 से 07 प्रत्येक का 1 / 8–1 / 8 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का बनता है। वर्तमान में भूमि की कीमतों में वृद्धि होने के कारण प्रतिवादीगण, वादी का अपने हिस्से से महरूम करना चाहते है तथा वादी का भूमि से जबरन बेदखल करने पर उतारू है। वादी हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत वादग्रस्त भूमि में अपना 1 / 8 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का घोषित करवाने का अधिकारी है। लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा पुरोहितों की बस्ती पटवार क्षेत्र मूढों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 511 / 181

सहायक कलक्टर
(SDO), बाड़मेर

रकबा 39.10 बीघा भूमि में 1/8 हिस्सा खातेदारी में घोषित करवाने का वादी अधिकारी है।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रशासन गावों के संग अभियान–2023 में दिनांक 02.05.2023 को ग्राम पंचायत मूढों की ढाणी में वादी तथा प्रतिवादी संख्या 01 के सम्बन्ध में सभी ग्रामवासीयों से पूछताछ की गई। ग्रामवासीयों ने प्रतिवादी संख्या 01 के बारे में अवगत करवाया कि प्रतिवादी संख्या 01 वादी का पिता है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने निवेदन किया कि वादी हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत वादग्रस्त भूमि में अपना 1/8 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का घोषित करवाने का अधिकारी है। लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा पुरोहितों की बस्ती पटवार क्षैत्र मूढों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 511/181 रकबा 39.10 बीघा भूमि में 1/8 हिस्सा खातेदारी में घोषित करवाने का वादी अधिकारी है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 का अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के साथ अपना 1/8 हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा पुरोहितों की बस्ती पटवार क्षैत्र मूढों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 511/181 रकबा 39.10 बीघा भूमि में वादी का प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादी का 1/8 हिस्सा खातेदारी में घोषित की जाती है। **अतः तहसीलदार बाडमेर तद् अनुसार समस्त राजस्व अभिलेख में अंकन करें। रहन की प्रविष्टी यथावत रहेगी।** शेष खाता बदस्तूर रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मजमे आम में सुनाया गया।

(समदरसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 02/05/23 को मजमे आम सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO),बाड़मेर